



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID 2019000999R Receipt Date 05-SEP-2019 17:35
S R Location JAIPUR-V
Receipt No RJ1705351909870
Name Of Seller SANJAY SHARMA ADV
Name Of Buyer KEDIA BUILDERS AND COL PVT LTD
Type of Document Search
ACC Reference NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR



Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 100
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 100	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 110		
(Rupees One Hundred Ten Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 2019000999R Receipt Date 05-SEP-2019 17:35
S R Location JAIPUR-V
Receipt No RJ1705351909870
Name Of Seller SANJAY SHARMA ADV
Name Of Buyer KEDIA BUILDERS AND COL PVT LTD
Type of Document Search
ACC Reference NONSH/SHASHI RAJAWAT/JAIPUR



Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 0	CSI	₹ 0
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 100
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 100	Service Charges	₹ 10
Grand Total	₹ 110		
(Rupees One Hundred Ten Only)			



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



SANJAY SHARMA

Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur

Office & Residence :
F-52-B, Ghiya Marg, Banipark, Jaipur 302016
Tel.: 0141-2283627 • Fax : 0141-2283827
Mobile : 9829067116

Ref. No.:

Date: 10/9/2019

NON ENCUMBRANCES CERTIFICATE

**** SEARCH REPORT ****

Property Details :-

Residential Scheme called **"NIKUNJ VILLAS"** situated at Revenue Village Kanakpura, Tahsil Jaipur District Jaipur within the Urbanisable limits of Jaipur Development Authority Jaipur. measuring 7 Beegha land was Converted by J.D.A. bearing Khasra No.'s as 231/6 area 3 Beegha 12 Bisswa and 233/5 area 3 Beegha 08 Bisswa total khasra No. 2 total area 7 Beegha in current Annual Register (Jamabandi Sm. 2073-2076)

Four Cornners :- North, East, South and West as per the site plan .

I, Sanjay Sharma, Advocate have caused necessary searches in the Sub-Registrar Office Jaipur- 2 and Sub-Registrar Office Jaipur-5 and Tahsil Office for the period 2018-2019 and have inspected all relevant records and all other relevant documents in respect of the aforesaid property. My search report is as follows.

The above mentioned land Previously owned by Rameshwram Enterprises Through partner Shri Harish kumar s/o shri Amilal Jat R/o 4/33, Pradhan Marg, Malviya Nagar Jaipur, Dist. Jaipur being



SANJAY SHARMA

Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur

Office & Residence :
F-52-B, Ghiya Marg, Banipark, Jaipur 302016
Tel.: 0141-2283627 • Fax : 0141-2283827
Mobile : 9829067116

Ref. No.:

Date: 10/9/2019

The Khatedar Tenent of Govt. of Rajasthan having fully heritable and Transferable rights in above mention land in current Annual Register.

The above mentioned Khatedar was sold the above mentioned land by Registered Sale Deed to **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.** and Buyers name was entered in all relevant documents.

That by the order of D.C. Jon-7 Jaipur Development Authority Jaipur dated 15-10-2018 the above mentioned land has been converted for **MUKHY MANTRI JAN AAWAS YOJNA 2015** provision **3 B** and The Lay out plan approved by the Office of Jaipur Development Authority .

That as per the search and inspection in the concern Sub-Registrar Jaipur of assurance of the document produced before me.

I, Sanjay Sharma, Advocate confirm that Khatedar **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.** is the absolute owner of the aforesaid mentioned 2 Khasara Number's bearing **Khasra No.'s as 231/6 & 233/5.**

I hereby Further certify that the said Property of **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.** is free from all sorts of Encumbrances, Charge, Liabilities, Lines, Lis-pendants and Attachments of any kind whatsoever and the said property is absolutely clear, free and marketable. It is also hereby certified that



SANJAY SHARMA

Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur

Office & Residence :
F-52-B, Ghiya Marg, Banipark, Jaipur 302016
Tel.: 0141-2283627 • Fax : 0141-2283827
Mobile : 9829067116

Ref. No.:

Date: 15/9/2019

the above mentioned land is not affected by any restriction of Urban land (Ceiling & Regulation) Act 1976 and the same is not under any claim of CMDA and CIT. The receipts for the relevant searches are enclosed hereto.

BRIEF HISTORY OF LAND:-

Originally the project land on which **MUKHY MANTRI JAN AAWAS YOJNA** provision 3B is Project called as **"NIKUNJ VILLAS"** is situated was an agricultural land owned by Rameshwram Enterprises is a purchased property of seller now the buyer **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.** is absolute owner of the property.

The above mentioned Land was converted from agricultural use to residential use under Section 90-A by the Office of Jaipur Development Authority. Jaipur vide **case no. 64/2018** passed on dated 15-10-2018 the said land was surrendered in the name of Jaipur Development Authority for The **MUKHY MANTRI JAN AAWAS YOJNA**. Upon submission a Lay-out plan was duly approved by the office of Jaipur Development Authority Jaipur .

That in My considered searches and opinion the title and ownership right of **MUKHY MANTRI JAN AAWAS YOJNA** of land



SANJAY SHARMA
Advocate
Rajasthan High Court, Jaipur

Office & Residence :
F-52-B, Ghiya Marg, Banipark, Jaipur 302016
Tel.: 0141-2283627 • Fax : 0141-2283827
Mobile : 9829067116

Ref: No.:

Date: 15/9/2019

bearing different numbers as per the List furnished by the **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.** comprised of Residential Plots of Land of Various Sizes in situated on a total land of Khasara No. **231/6 and 233/5** measuring 7 Beegha at Village Kanakpura, Tehsil and District Jaipur are legally acquired by the **KEDIA BUILDERS & COLONIZERS PVT. LTD.**

The Receipts for the relevant searches are enclosed here with.

Sanjay Sharma
Advocate

प्रारूप-11
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रकरण संख्या 64

वर्ष 2018

1. खातेदार श्री रामेश्वरम् एन्टरप्राइजेज, पार्टनर हरीश कुमार पुत्र श्री अमीलाल, निवासी-मकान नम्बर 4/33, मालवीय नगर, जयपुर।

आवेदक

विषय:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक : 15-10-18

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 प्रोजेक्ट 3बी, के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा-बीस्वा	किस्म	क्षेत्रफल जिसकी 90-क चाही गई है
तहसील-जयपुर व जिला जयपुर	ग्राम कनकपुरा	231/6	3 बीघा 12 बिस्वा	बारानी-1	3 बीघा 12 बिस्वा
		233/5	3 बीघा 8 बीस्वा	बारानी-1	3 बीघा 08 बिस्वा
कुल किता-2		कुल रकबा	7 बीघा		7 बीघा

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथ-पत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
3. प्रकरण में लोक सूचना दिनांक 29.08.2018 को जारी की गई जिसे दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्र में दिनांक 30.08.2018 को प्रकाशित करवाई गयी। प्रकाशन के बाद आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
4. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का मुख्यमंत्री जन

आवास योजना 2015 प्रोविजन 3बी के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

5. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम कनकपुरा तहसील व जिला-जयपुर के खसरा नं. 231/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नं. 233/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोविजन 3बी के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
6. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
7. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
8. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 15-10-18 को पारित किया गया।

sd-
प्राधिकृति अधिकारी जोन-7
जविप्रा, जयपुर

संख्या 2124

दिनांक 15-10-18

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, जयपुर को पूर्वोक्त भूमि को जविप्रा के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. खातेदार श्री रामेश्वरम् एन्टरप्राइजेज, पार्टनर हरीश कुमार पुत्र श्री अमीलाल, निवासी-मकान नम्बर 4/33, मालवीय नगर, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।


प्राधिकृति अधिकारी जोन-7
जविप्रा, जयपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-II

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 22-08-2019 11:48 AM

Fee Receipt No	: 201902016013162	Receipt Date	: 22/08/2019
Name	: HARISH KUMAR AS PARTNER RAMESHWARAM ENTERPRISES,	Document S. No.	: 201901016012903
Address	: 4/33 ,PRADHAN MARG ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000000	Evaluated Value	: ₹ 68117717
Ord-Registration Fee	: ₹ 1000000	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 200000	Stamp Duty	: ₹ 1000000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 1000
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2201300
		Total Amount	: ₹ 2201300

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 32773731 ₹ 2201300

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 4000000

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप वजीयक द्वितीय
जयपुर

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0032773731



Payment Date: 22/08/2019 11:39:01

Office Name: SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2019 To 31/03/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	100000.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	100000.00
3	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	1300.00
4	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	1000000.00
5	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	1000000.00
Commission(-):		0.00
Total/NetAmount:		2201300.00

Twenty Two Lakh One Thousand Three Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: KEDIA BUILDERS AND COLONIZERS PVT LTD

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid SALE DEED

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode):

Jaipur(000000)

Address:KH.NO.231/6,233/5 VILL-KANAKPURA JAIPUR

Remarks:SELLER-RAMESHWARAM ENTERPRISES

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No:

000632603873822082019

Date: 22/08/2019 11:39:01

Reference No:

CKK3601538

Computer generated copy on : 22/08/2019

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर



॥ श्री ॥

— : विक्रय-पत्र : —

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 21 अगस्त 2019 ईस्वी को रामेश्वरम एन्टरप्राइजेज पंजीकृत कार्यालय 357 श्री गोपाल नगर, गोपाल पुरा बाईपास, जयपुर जरिये पार्टनर श्री हरिश कुमार (आधार नम्बर 526776260593) आयु 52

For Rameshwaram Enterprises
Partner, Auth. Sign.

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

For Rameshwaram Enterprises
Partner, Auth. Sign.

वर्ष पुत्र श्री अमी लाल, जाति जाट, निवासी- 4/33, प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर के है जिन्हे इस विक्रय-पत्र के लेख में नीचे प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म शब्द से सम्बोधित किया गया है और इसमें यह प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म है (इस विक्रेता फर्म शब्द में फर्म के सभी साझेदार शेयरहोल्डर उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, वारिसान, अधिकारदातागण, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित है तथा भविष्य में रहेंगे)की ओर से :-

ब ह क

केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड (जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कम्पनी है) पंजीकृत कार्यालय ए-6 से ए-10, श्याम नगर, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया (आधार नम्बर 730835401335) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया, आयु 26 वर्ष, जाति महाजन, निवासी- केडिया हाऊस, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर के है जिन्हें इस विक्रय-पत्र के लेख में नीचे द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी शब्द से सम्बोधित किया गया है और इसमें क्रेता कम्पनी है (इस क्रेता कम्पनी शब्द में कम्पनी के सभी निदेशकगण, साझेदार, शेयरहोल्डर, कर्मचारी, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, अधिकारदातागण, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित है तथा भविष्य में रहेंगे) के हित में निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जाता है कि :-

जो कि ग्राम कनकपुरा, पटवार हल्का मीनावाला, भू.अ.नि.क्षेत्र बस्सी सीताराम पुरा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 231/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 233/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता दो कुल रकबा 7 बीघा भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म के नाम से समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित थी तथा उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रथमपक्ष विक्रेता ने भूमि के खातेदारी अधिकार राजस्व भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को समर्पित किये जाने पर धारा 90-क, भू राजस्व अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 3-बी के उपयोग हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने प्रकरण संख्या 64/2018 मुताबिक निर्णय दिनांक 15/10/2018 को रूपान्तरित कर दी गई है परन्तु उक्त कथित भूमि

For Rameshwaram Enterprises

Partner Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises

Partner Auth. Sign.



दिनांक 21 08.2019
हो 6 प्रमो 7 प्रम के मध्य श्री हरिश कुमार
श्री अमीनाल बख्श 52 जति जाट
अवस्थाय व्यापार विधायी 4/33, पंचान मार्ग
मालवीय नगर जयपुर जयपुर सोसायटी राफे खल 1-एडाईक
के मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया।

प्रस्तुतकर्ता

जयपुर नगर विकास
संस्थान



Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201902016013162
दिनांक	22-08-2019
पंजीयन शुल्क ₹	1000000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	1000
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1000000
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	200000
कुल योग	2201300

201901016012903

उप पंजीयक, JAIPUR-II

Sale deed issued by Private developer, Dev.Auth., Raj. Housing Board, UIT and Municipality, Ricco under Chief Minister Jan Awas Yojna - 2015 in favor of person of EWS

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

पर राजस्व भू-राजस्व (लैण्ड रैवेन्यू) अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोवीजन 3-बी के लिए उपयोग करने हेतु प्राधिकृति अधिकारी जोन-7 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा अपने आदेश क्रमांक डी-2124 दिनांक 15/10/2018 को प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म के हित में जारी कर दिये गये इस प्रकार उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि जिसका रकबा 7 बीघा का प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे का एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज, अधिकारी चली आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म ने आज तक राज्य सरकार व अर्द्धसरकारी संस्थाओं व जन साधारण के हित में रहन, बय, आदि नहीं की है ना ही अन्य किसी दीगर तरीके से रहन, बय तथा हस्तान्तरित आदि की है, उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि हर प्रकार के झगड़ों व टन्टों से मुक्त एवं विवाद मुक्त है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म को उक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को प्रत्येक प्रकार से विकसित करने व प्रत्येक प्रकार से अन्य व्यक्तियों के हित में रहन बय विक्रय करने एवम् हर प्रकार से हस्तान्तरण करने के सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार एवं स्वत्वाधिकार तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त है और प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के लिए सक्षम है ।

यह कि द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 17.08.2019 को कम्पनी के नाम से उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को क्रय करने तथा क्रय के बाबत निष्पादित दस्तावेज विक्रय पत्र इत्यादि पर बतौर निष्पादन स्वरूप हस्ताक्षर करने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने बाबत कम्पनी की ओर से निदेशक श्री गौरव केड़िया को अधिकृत कर दिया गया है इसलिये इस विक्रय पत्र पर द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी की ओर से श्री गौरव केड़िया ने बतौर निष्पादन स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त वर्णित मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोवीजन 3-बी के बाबत रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 231/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 233/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता दो कुल रकबा 7 बीघा भूमि सम्पूर्ण वाके ग्राम कनकपुरा, तहसील व जिला जयपुर में स्थित को अपने सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारो व मालिकाना हको सहित बिना रखे किसी हक व अंश के तथा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 15/10/2018 के सभी अधिकारो सहित को कुल मुबलिग 10,00,00,000/-रुपये अक्षरे दस करोड़ रुपये की ऐवज में द्वितीयपक्ष क्रेता केड़िया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री HARISH KUMAR AS PARTNER RAMESHWARAM ENTERPRISES , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री AMI LAL JAT, व्यवसाय Businessजाति JAT House No.:4/33, Colony: PRADHAN MARG , Area: MALVIYA NAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 52 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री GAURAV KEDIA AS DIR. KEDIA BUILDERS AND COLONIZERS PVT.LTD. , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAJENDRA KUMAR KEDIA , व्यवसाय Businessजाति MAHAJAN House No.:0, Colony: KEDIA HOUSE , Area: NADI KA PHATAK BAINAR ROAD JHOTWARA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 26 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale deed issued by Private developer, Dev.Auth., Raj. Housing Board, UIT and Municipality Ricco under Chief Minister Jan Awas Yojna - 2015 in favor of person of EWS. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 100000000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 100000000/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री VIVEK KUMAR SARAF , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GANESH LA SARAF जाति MAHAJAN Age: 46 Add: House No.:63, Colony: SATYA VIHAR , Area: LAL KOTHI TONK ROAD JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302015, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री JITENDRA SHARMA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SITA RAM SHARMA जाति BRAHMIN Age: 38 Add: House No.:0, Colony: VILL.NANGAL JESA BOHRA , Area: JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

201901016012903

उप पंजीयक, JAIPUR

Sale deed issued by Private developer, Dev.Auth., Raj. Housing Board, UIT and Municipality Ricco under Chief Minister Jan Awas Yojna - 2015 in favor of person of EWS.

लिखित (जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कम्पनी है) पंजीकृत कार्यालय ए-6 से ए-10, श्याम नगर, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर जरिये निदेशक श्री गौरव केडिया पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार केडिया, आयु 26 वर्ष, जाति महाजन, निवासी- केडिया हाऊस, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर को अन्तिम रूप से विक्रय कर दी है अर्थात् बेच दी है तथा विक्रय मूल्य राशि 10,00,00,000/-रुपये अक्षरे दस करोड़ रुपये प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म ने द्वितीयपक्ष क्रेता कंपनी से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है :-

S.No.	Cheque No.	Total Consideration	Drawn on
1	000804	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
2	000805	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
3	000806	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
4	000807	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
5	000808	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
6	000809	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
7	000810	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
8	000811	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
9	000812	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
10	000813	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
11	000814	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
12	000815	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
13	000816	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
14	000817	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
15	000818	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
16	000819	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
17	000820	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
18	000821	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
19	000822	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
20	000823	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
21	000824	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
22	000825	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
23			

For Rameshwaram Enterprises

Particular, Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises

Particular, Auth. Sign.

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 100000000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1000000 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 1000000, सरचार्ज राशि 200000 कुल रु 2200000 रसीद संख्या 201902016013162 दिनांक 22-08-2019 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 1000000 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201901016012903

Sale deed issued by Private developer, Dev.Auth., Raj. Housing Board, UH and Municipality, Ricco under Chief Minister Jan Awas Yojna - 2015 in favor of person of EWS.

Registration Endorsement

आज दिनांक 26/08/2019 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1267 में
पृष्ठ संख्या 177 क्रम संख्या 201903016111151 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5056 के
पृष्ठ संख्या 403 से 418 पर चस्पा किया गया।

201901016012903

Sale deed issued by Private developer, Dev.Auth., Raj. Housing Board, UH and Municipality, Ricco under Chief Minister Jan Awas Yojna - 2015 in favor of person of EWS.

24	000826	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
25	000827	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
26	000828	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
27	000829	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
28	000830	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
29	000831	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
30	000832	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
31	000833	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
32	000834	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
33	000835	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
34	000836	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
35	000837	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
36	000838	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
37	000839	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
38	000840	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
39	000841	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
40	000842	25,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
41	000843	15,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
42	000844	10,00,000/-	Andhra Bank Station Road Jaipur
Net Sale		10,00,00,000/-	TDS
Consideration			

इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य राशि 10,00,00,000/-रुपये अक्षरे दस करोड़ रुपये प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म ने द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी से उपर वर्णित

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

अनुसार प्राप्त कर लिये है। जिसकी प्राप्ति की पुष्टि प्रथमपक्ष विक्रेता इस लेख में करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म को द्वितीयपक्ष क्रेता कंपनी से विक्रय मूल्य राशि में कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी बेची हुई रूपान्तरित भूमि जिसका रकबा 7 बीघा पर से अपना वास्तविक रूप से कब्जा हटाकर द्वितीयपक्ष क्रेता कंपनी का मौके पर बहैसियत मालिकाना हको से करा दिया है और अपने समान विक्रयशुदा भूमि का मालिक, स्वामी, काबिज, अधिकारी बना दिया है तथा विक्रयशुदा भूमि से सम्बन्धित समस्त स्वत्वाधिकार व मालिकाना हक हकूक सब प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म ने आज इस विक्रय पत्र के लेख के माध्यम से द्वितीयपक्ष क्रेता कंपनी को हस्तान्तरित कर दिये है तथा द्वितीयपक्ष क्रेता कंपनी क्रयशुदा भूमि को अपने धन से विकसित करे तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोवीजन 3-बी के उपयोग हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 15/10/2018 में वर्णित सभी नियमों, विनियमों या उपविधि के अनुसार उपयोग व उपभोग में क्रेता कंपनी ले सकेगी तथा क्रेता कंपनी नियमानुसार कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में अपने नाम से हस्तान्तरण करावे, नक्शा अनुमोदन करावे तथा योजना का सर्जन करे, भूखण्डों का विभाजन करे, आवंटन पत्र जारी करे तथा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से पट्टे प्राप्त करे, तथा हर प्रकार से रहन, बय, विक्रय, हस्तान्तरण आदि करके प्रत्येक प्रकार का लाभ अर्जित करें, इसमें प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म की प्रतिनिधियों व इनके वारिसान को किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज करने का अधिकार नहीं होगा।

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

यह कि उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को एकमुश्त व भिन्न-भिन्न भाग में विभाजित करके किसी भी व्यक्ति, संस्था फर्म, कम्पनी आदि को द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी हर प्रकार से रहन, बय, विक्रय, हस्तान्तरण आदि करके प्रत्येक प्रकार का लाभ अर्जित कर सकेगी।

यह कि विक्रयशुदा भूमि के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म के प्रतिनिधियों साझेदार इत्यादि द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई मांग उज्र व दावेदारी करते हैं अथवा किसी प्रकार का झगड़ा-टन्टा, वाद-विवाद उत्पन्न करते हैं तो ऐसे तमाम विवादों के निपटारे व अदायगी की तमाम जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की स्वयं की होगी जिसके प्रथमपक्ष विक्रेता बाध्य व पाबन्द है तथा भविष्य में रहेंगे।

यह कि विक्रय शुदा उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई भाग व अंश प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म के स्वत्वाधिकारों व खातेदारी अधिकारों की त्रुटियों व दोषों के कारण या किसी दावेदारी के कारण से द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी के कब्जे व अधिकार से सम्पूर्ण अथवा इसका कोई भाग निकल जावे या द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म की ओर का कोई ऋण भार चुकाना पड़े तो द्वितीयपक्ष क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपना दिया हुआ सम्पूर्ण मूल्य धनराशि मय हानि व व्यय व आर्थिक हानि प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म से तथा प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म की अन्य चल व अचल सम्पत्तियों से एकमुश्त उस समय के बाजार भाव से वसूल कर सकेंगे इसमें प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म को तथा इसके उत्तराधिकारियों आदि को कोई किसी प्रकार का उज्र व

For Rameshwaram Enterprises

Partner Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises

Partner Auth. Sign.

रूप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

ऐतराज नहीं होगा। इस सम्बन्ध में किया हुआ उज्र व ऐतराज राज्य सरकार व न्यायालय तथा पंच पंचायत में झूठा होगा और इस विक्रय पत्र के विरुद्ध अमान्य व झूठा होगा।

यह कि विक्रयशुदा रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व का कोई किसी प्रकार का झगड़ा-टन्टा, वाद-विवाद, ऋण-भार, सरकारी व गैर सरकारी, जनसाधारण बैंक इत्यादि की ओर का बकाया निकलेगा तो ऐसे तमाम विवादों के निपटारे व अदायगी की तमाम जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म की स्वयं की होगी जिसके लिये प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म बाध्य व पाबन्द है तथा भविष्य में रहेंगे।

यह कि उपरोक्त वर्णित बेची हुई रूपान्तरित से अब प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म का तथा उसके उत्तराधिकारियों या स्थानापन्नो, अधिकारदाताओं आदि का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा है और न भविष्य में किसी प्रकार का होगा। इस विक्रय से प्रथमपक्ष विक्रेता फर्म के समस्त प्रतिनिधि पाबन्द रहेंगे।

यह कि विक्रय पत्र का समस्त प्रकार का खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी के जिम्मे तैय पाया गया है जो द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी ने अलावा विक्रय मूल्य राशि के वहन किया है अर्थात् लगाया है।

अतः यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी स्वेच्छा तथा स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में बिना किसी जबर व दबाव के प्रसन्न चित्त से बिना किसी

For Rameshwaram Enterprises
Partner, Auth. Sign.

For Rameshwaram Enterprises
Partner, Auth. Sign.

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

मादक वस्तु सेवन किए 9 पेपरो पर उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी के हित में तहरीर व तंकमील कराकर उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण इबारत को भली प्रकार से पढकर व सुन व समझ कर तथा स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान के समक्षकर दिये कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे वक्त जरूरत काम आवे । इति 0 दिनांक

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता :-

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

(श्री रामेश्वरम् एन्टरप्राइजेज)

PAN:- AASFR8173M

जरिये साझेदार हरिश कुमार

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता :-

For Rameshwaram Enterprises

Partner, Auth. Sign.

(गौरव केडिया)

जरिये निदेशक केडिया बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर्स प्राईवेट लिमिटेड

PAN:- AAFCA4547C

हस्ताक्षर गवाह 1:-

विवेक सराफ

VIVEK KR SARAF S/O SH GANESH LAL SARAF
63, Sadya Vihar Lal Kothi Jaipur

हस्ताक्षर गवाह 2:-

जिनेन्द्र कुमार शर्मा

जिनेन्द्र कुमार शर्मा S/O श्री सीताराम शर्मा

R/O नौगल मेरु बोहरा 60 एवं किल गढ़

एप पंजीयक द्वितीय
जयपुर